आज का विचार

जब तक किसी कार्य की शुरूआत नहीं होती तब तक अनिश्चितता बरकरार रहती है। लेकिन शुरूआत होते ही समय सीमित नजर आने लगता है और समापन नजर आने लगता है।

(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक लोकजीवन

आरक्षण लॉटरी से आगाज ...

प्रदेश में पहली बार ही नहीं बल्कि देश में पहला राज्य बनने जा रहा है। राजस्थान जहां वन स्टेट वन इलेक्शन की शुरूआत होने जा रही है। हाईकोर्ट में किये वादे के अनुरूप 15 अगस्त से 15 नवम्बर के बीच की अवधि में शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कर लिये जायेंगे। निकाय चुनावों के लिए करीब 18 हजार मतदान केन्द्र तथा पंचायती राज चुनाव के लिए 48 हजार मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। निकाय चुनाव की चरणबद्ध व्यवस्था 39 जिलों में 2 चरणों में सम्पन्न कराने की तैयारी है। जबकि फलौदी और सलूम्बर राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में 4 चरणों में और एक जिले में एक चरण में कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसलमेर में एक चरण में चुनाव की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदान केन्द्र, आरक्षण, निर्वाचन कार्मिक, अधिकारियों के ट्रांसफर और चरणबद्ध चुनाव व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज विभाग तथा कार्मिक विभाग से संबंधित तैयारियों एवं आदेशों की समीक्षा की गई। आयोग ने पदों के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया जल्दी पूरी करने और आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये।

प्रदेश में 309 नगरीय निमायों के प्रमुखों (महापौर, सभापति, अध्यक्ष) एवं जिला प्रमुखों के पद की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी निकलने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया का बिगुल बज जाएगा। लॉटरी के अनुरूप निकायों के दावेदार अपनी चौसर बिछाने में व्यस्त हो जायेंगे। निकाय प्रमुखों की लॉटरी ऑफ लाइन ही निकाली जाएगी। जिसकी प्रक्रिया 13 अगस्त को सुबह साढ़े 10 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में शुरू होगी। इससे पूर्व राजनीतिक दलों ने ऑनलाइन लॉटरी निकालने की स्थिति में पारदर्शिता नहीं रहने की आशंका जताई थी। इसी दिन 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी निकालने का कार्यक्रम घोषित किया है। आरक्षित पदों का श्रेणीवार आंवटन 13 अगस्त को दोपहर 3.15 बजे लॉटरी के माध्यम से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के सभागार में होगा। वार्डों के आरक्षण की व्यवस्था जिला कलक्टरों द्वारा तय की जाएगी। अनिश्चितता के दौर में मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि निकाय चुनाव की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक टाइम लाइन आरक्षण लॉटरी से जुड़ी है। खासकर उन वार्डों में जहां आरक्षण की स्थिति बदली है। वहां दावेदारों की पूरी रणनीति बदल सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण की लॉटरी के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करके कदम उठाये ताकि चुनावों में योग्य लोग चुनकर आ सके।

कड़वी घूंट -सूरज

दुर्घटना और ड्राइवर ...

सड़क हादसों की खबरें पढ़ कर लोगों में गहरी चिंता होती है सभी अपने-अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते है कि क्यों दुर्घटना हुई। ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से दुर्घटना हुई। ऐसे कौन से कारण रहे निकी वजह से दुर्घटना में लोगों की जान गई अथवा घायल हुए। दुर्घटना होते ही सफर थम जाता हे और जान बचाने के लिए अस्पताल तक पहुंचने पहुंचाने का अभियान अहम हो जाता है लेकिन हादसा कहां हुआ और कौन देवदूत है जो इन्हें अस्पताल तक पहुंचा सकता है।

विपरित इसके कारण कोई भी क्यों न रहे हो चालक से ही अपेक्षा की जाती हे कि वह सतर्क होता तो दुर्घटना टाली जा सकती थी। चालक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वह नशे में था या नींद में था इसलिए उन क्षणों में वह वाहन को नियंत्रित करने में असफल रहा और दुर्घटना घट गई। क्या ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अधिक सतर्क और सावधान हो सके।

हां मुम्बई के बेस्ट ड्राइविंग स्कूल ने प्रशिक्षण का बहुत सख्त और अनोखा तरीका अपनाया है। जहां ड्राईवर के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन की शुरूआत किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असली दुर्घटनाओं के विश्लेषण और भयानक सीसीटीवी फुटेज से होती है दुर्घटना नये ही नहीं अनुभवी और पुरान चालकों से भी हो जाती है। यहां ड्राइवरों को दिखाते है कि एक सैकण्ड की लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो जाती है। यह भी कि अचानक पैदल यात्री के आने या मोड पर एक्सीलेटर पर ज्यादा दबाव का क्या अंजाम होता है। अब यह आप जानो कि ऐसा विशेष प्रशिक्षण देश के सभी भागों में दिये जाने की जरूरत है ताकि ड्राईवर उन भयानक क्षणों में जागरूक रहकर दुर्घटना को टाल सके।

राष्ट्रीय पक्षी मोर का किया रेस्क्यू

सवाईपुर। क्षेत्र के रेडवास गांव में कुएं में मंगलवार को गिरे एक राष्ट्रीय पक्षी मोर का ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम को सूचना दी । समाजसेवी महावीर जाट ने बताया कि रेडवास में मंगलवार को सांवरमल जाट के कुएं में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर गिर गया, जिसकी सूचना कोटडी वन विभाग को दी गई, जिस पर कार्यवाहक वनपाल कमलेश रैगर मौके पर पहुंचे एवं युवा साथियों के सहयोग से कुएं में उतरकर राष्ट्रीय पक्षी मोर को सुरक्षित बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार कर जंगल में छोड़ दिया । इन दौरान अरविंद गर्ग सांवर जाट आदि कई मौजूद रहे ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद

सबका साथ-सबका विकास की भावना से वंचित वर्गों का हो रहा अभूतपूर्व उत्थानः भजनलाल शर्मा

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार और समाज के बीच निरंतर संवाद पर बल देते हुए इसे नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में कारगर बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को नीतियों की आत्मा और योजनाओं का सार मानते हुए राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है, जिससे वंचित वर्गों का अभूतपूर्व उत्थान हो रहा है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया और जनसेवा की है। अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी नहीं। उनका दायित्व है कि वे वर्षों के प्रशासनिक अनुभव, जमीनी परिस्थितियों के व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए युवाओं को मार्ग दिखाएं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

सेवानिवृत्त अधिकारियों ने छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, निःशुल्क कोचिंग योजना, कौशल विकास सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में प्रभावी जांच एवं त्वरित कार्रवाई के लिए भी सरकार की सराहना की।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का रोडमैप बना कर पानी, बिजली, स?क, स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण कार्य डबल इंजन सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम हैं। हमारी सरकार ने महज ढाई वर्ष में 12 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है।

बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना से प्रशस्त हो रहा गांवों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी हेतु स?क, पेयजल, वेस्ट मैनेजमेंट आदि के विकास के लिए बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब सवा चार लाख और अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4 लाख 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना के तहत बाबा साहब के स्मृति स्थलों का भ्रमण, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा बारां जिले में पीएम-जनमन के तहत 14 हजार 636 पात्र परिवारों के आशियाने का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को देय मैस भत्ते की राशि को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह और खेल अकादमियों में देय मैस भत्ते की राशि को 2 हजार 600 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया। उन्होंने कहा कि मां-बाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में पिछले दो साल में लगातार 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, 250 नए मां बाड़ी केंद्र खोलने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान ललित के. पंवार, जे.पी. चंदेलिया, रवि प्रकाश मेहरदड़ा, ओम प्रकाश बैरवा एवं अनिल गोठवाल सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा तथा प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशन होंगे आधुनिक, 18 का काम पूरा

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, जयपुर

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में भीलवाड़ा सहित 85 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें मांडलग? सहित 18 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। जबकि अन्य स्टेशनों पर अलग-अलग चरणों में काम जारी है। स्टेशन भवन, पार्किंग, वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट और दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान से जुड़े पांच रेलवे जोन के लिए यात्री सुविधाओं के मद में 5,642 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। जून 2026 तक 1,696 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। योजना के तहत स्टेशन भवन, प्रवेश-निकास, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, दिव्यांगजन सुविधाएं, शौचालय और साइनज जैसी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। भविष्य में जरूरत और उपलब्धता के आधार पर स्टेशन पर सिटी सेंटर विकसित करने की भी योजना है।

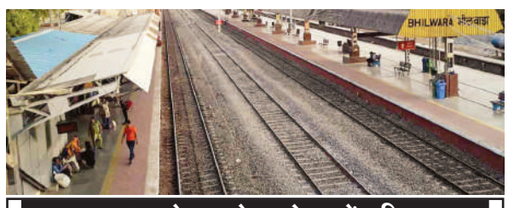

राजस्थान के 85 स्टेशन योजना में शामिल

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में शामिल प्रमुख स्टेशनों में जयपुर जंक्शन, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा जंक्शन, उदयपुर सिटी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, पाली मारवाड़, फालना, जालोर, झालावाड़ सिटी, बूंदी और दौसा शामिल हैं। इसके अलावा डीग, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, खैरथल, किशनगढ़ क्षेत्र के स्टेशन, मङ्गढ़ब्लङ्ड रोड, फुलेरा, रींगस, रामगंज मंडी, सूरतगढ़, सुजानगढ़ सहित कुल 85 स्टेशनों को योजना में लिया गया है।

18 स्टेशनों पर काम पूरा

राजस्थान में अब तक 18 रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य पूरा हो चुका है। इनमें मांडलगढ़, बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, जैसलमेर, खैरथल, मंडावर महवा रोड, राजगढ़, सोजत रोड और सोमेसर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर स्टेशन भवन, प्रवेश व्यवस्था, प्रतीक्षालय, पार्किंग, प्लेटफॉर्म और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यात्री सुविधाओं के लिए साढ़े 5 हजार करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों का विकास पांच रेलवे जोन के अंतर्गत होता है। इनमें उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में इन पांचों जोन के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित मद में कुल 5,642 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जून 2026 तक इसमें से 1,696 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

ओबीसी सूची में घांची व तेली के एकीकरण की मांग, साहू महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा की जिला इकाई भीलवाड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में संशोधन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा ने ओबीसी सूची में पृथक-पृथक दर्ज घांची तथा तेली, हम्माल की प्रविष्टियों को एकीकृत करने और समाज में प्रचलित उपनामों को इसमें स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान राज्य की ओबीसी सूची के क्रम संख्या 17 पर घांची तथा क्रम संख्या 18 पर तेली, हम्माल अंकित है। सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये दोनों वर्ग परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पृथक प्रविष्टियों तथा समाज में प्रचलित राठौर, मोदी, भाटी एवं साहू जैसे उपनामों का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण युवाओं और विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों एवं अन्य संवैधानिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में निरंतर प्रशासनिक भ्रम व समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्रांतीय महासभा ने मांग की है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर दोनों प्रविष्टियों का एकीकरण किया जाए। इससे जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों तथा ई-मित्र केंद्रों का संशय समाप्त होगा और पात्र नागरिकों को निर्बाध रूप से लाभ मिल सकेगा। ज्ञापन सौंपते समय संरक्षक टी.सी. चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू, हरीबक्ष गुलाणिया, श्रवण लाल साहू, सुखलाल साहू, देवराज तेली, एडवोकेट कुशल साहू, गोपाल तेली, प्रहलाद राय तेली, मुकेश तेली, एडवोकेट प्रताप तेली, भगवती लाल दिया, भेरूलाल तेली एवं रामचन्द्र साहू सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

रिप्स जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में 3 प्रकरण मंजूर

भीलवाड़ा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019, रिप्स-2022 एवं रिप्स-2024 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 5 प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर परीक्षण के पश्चात 3 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत प्रकरणों में पात्रतानुसार विद्युत शुल्क अनुदान, निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान, मार्केट/मंडी फीस के पुनर्भरण की छूट तथा पूंजीगत निवेश अनुदान का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। शेष 2 प्रकरणों पर आगामी बैठक में पुनः विचार किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मिनिट्स जारी कर एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी कर तत्परता से लाभ प्रदान किया गया। बैठक में डीआईसी महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, जीएसटी विभाग से नीरज शर्मा, कॉमर्शियल टैक्स विभाग से संबंधित अधिकारी, रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एस.के. नेनावटी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता ओ.पी. खटोड़ तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से कन्हैया कुमावत आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाड़ा (राजस्थान)

(Van Bhawan Shastri Nagar, Bhilwara, Tel No. 01482-252693, E mail dcf.blwr.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः 10427 दिनांकः 12.08.2026

ई-निविदा सूचना क्रम सं. 34,35,36,37/2026-27

वन मंडल भीलवाड़ा अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ई-निविदा सूचना संख्या 34, 35, 36, 37/2026-27 आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं Eproc Protal पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा संख्या	निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
01	हरणी महादेव नर्सरी शेड नेट निर्माण कार्य	34/2026-27	14.08.2026 01.00 बजे	14.08.2026 03.00 बजे
02	रेंज भीलवाड़ा पक्की दीवार निर्माण कार्य	35/2026-27	17.08.2026 01.00 बजे	17.08.2026 03.00 बजे
03	ट्री गार्ड आपूर्ति	36/2026-27	17.08.2026 01.00 बजे	17.08.2026 03.00 बजे
04	Rcc Sitting Bench आपूर्ति	37/2026-27	17.08.2026 01.00 बजे	17.08.2026 03.00 बजे

(मरिय शाइन ए)IFS
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

RANJAN POLYSTERS LIMITED

Regd. Office: 11-12th K.M Stone, Chittorgarh Road, Guwardi, Bhilwara- 311001 (Rajasthan).
Email: ranjanpoly@gmail.com, Website: www.ranjanpolysters.com
CIN: L24302RJ1990PLC005560, Mo.No.- 9413356095

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lacs, except as stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		Unaudited	Not subject to review/audit	
		30.06.2026	30.06.2025	31.03.2026
1.	Total Income from Operations (Net)	2125.89	2687.63	9077.96
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	311.73	302.67	1038.24
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	311.73	302.67	835.37
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	232.98	225.67	615.53
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	231.49	223.69	609.61
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	300.09	300.09	300.09
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.			3057.61
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1.Basic 2. Diluted	7.76 7.76	7.52 7.52	20.51 20.51

Notes:- 1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 11th August, 2026. **2.** The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly ended Financial Results is available on the Stock Exchange website www.msei.in and on the company's website, www.ranjanpolysters.com.

Date: 11.08.2026
Place: Bhilwara

By the order of the Board
sd/-
Mahesh Kumar Bhimsariya
Managing Director
DIN No. 00131930

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक/नियमन/स्यूटेशन नं. 1940 दिनांक //2026

आम सूचना

एतद्द्वारा श्री जगदीश प्रसाद आगीवाल पुत्र श्री समीर मल आगीवाल द्वारा राजस्व ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 441 गैर योजना में भूखण्ड संख्या एससीओ-122 साईज 11.50M×6M=69.00 वर्गमीटर का नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा नियमन /आवंटन पत्र जारी किया गया।

भूखण्डधारी श्री जगदीश प्रसाद आगीवाल द्वारा श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल को विक्रय किया गया एवं इनके द्वारा श्री दिनेश चन्द्र पारीक पुत्र श्री रमेश चन्द्र पारीक द्वारा श्रीमती अनुसुया शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा की मृत्यु हो जाने से पटवारी रिपोर्ट अनुसार इनके विधिक वारिसान श्रीमती रश्मी शर्मा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा पत्नी श्री डॉ. योगेश शर्मा द्वारा श्री अंकुर शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीडी द्वारा नामान्तरण चाहा है।

श्री अंकूर शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा के द्वारा उक्त भूखण्ड नामान्तरण हेतु न्यास में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति या संबंधित को कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय सबूत/ दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या संबंधित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जावेगा तथा नि न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी (नियमन)
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक/नियमन/स्यूटेशन नं. 1944 दिनांक //2026

आम सूचना

एतदद्वारा श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा द्वारा राजस्व ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 467 गैर योजना में भूखण्ड संख्या बी-614 साईज 21MX9.50M=199.50 वर्गमीटर का नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा नियमन / आवंटन पत्र जारी किया गया।

भूखण्डधारी श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा श्रीमती अनुसुया शर्मा पत्नी स्व. श्री रमेशचन्द्र शर्मा को विक्रय किया गया। श्रीमती अनुसुया शर्मा की मृत्यु हो जाने से पटवारी रिपोर्ट अनुसार इनके विधिक वारिसान श्रीमती रश्मी शर्मा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा पत्नी श्री डॉ. योगेश शर्मा द्वारा श्री अंकुर शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीडी द्वारा नामान्तरण चाहा है। श्री अंकुर शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा के द्वारा उक्त भूखण्ड नामान्तरण हेतु न्यास में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति या संबंधित को कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या संबंधित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जावेगा तथा न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी (नियमन)
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांकः नियमन / 2026/260167 दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

आम सूचना

राजस्व ग्राम पांसल की आराजी सं. 3371/2, 3379/1 के भूखण्ड संख्या 13 के नियमन बाबत्।

उपरोक्तानुसार आवेदक श्रीमति सरोज दाधीच पत्नी श्री योगेन्द्र दाधीच ने राजस्व ग्राम पांसल की आराजी सं. 3371/2, 3379/1 के भूखण्ड संख्या 13 साईज 20X50 वर्गफिट जरिये पंजीकृत /अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय किया है। उपरोक्त भूखण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति/खातेदार श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा, श्री सुखदेव शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा से क्रय कर अन्तिम क्रेता श्रीमति सरोज दाधीच पत्नी श्री योगेन्द्र दाधीच ने उक्त भूखण्ड का नियमन उपरान्त पट्टा चाहा है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस भूखण्ड के नियमन बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति या सम्बन्धित को कोई उजर / एतराज/आपत्ति हो तो विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से सात दिवस में न्यास में अपनी आपत्ति मय सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड के नियमन बाबत् अग्रिम कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए सम्पादित कर दी जायेगी तथा न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

विशेषाधिकारी (भूमि)
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर निगम भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक/नपभी. / राजस्व/2026/301 दिनांक :11/08/2026

आम सूचना

श्री किशन लाल पिता श्री सुण्डा कुम्हार निवासी भीलवाड़ा को गांधी नगर, भीलवाड़ा में भूखण्ड संख्या 16-बी साईज 70'X63' वर्गफिट का नगर पालिका भीलवाड़ा द्वारा जरिये विनिमय पत्र दिनांक 19.10.1975 द्वारा जारी किया गया। श्री किशन लाल पिता श्री सुण्डा कुम्हार ने उक्त भूखण्ड का जुज भाग साईज 20'X44' वर्गफिट जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1973 को श्री अर्जुन लाल पिता श्री रामजस मुन्दडा को विक्रय कर दिया। श्री अर्जुन लाल पिता श्री रामजस मुन्दडा ने ऑनलाईन आवेदन के साथ, पंजिकृत विक्रय पत्र व अन्य दस्तावेजों की फोटोप्रति अपलोड कर उपरोक्त उक्त जुज भाग साईज 20'X44' वर्गफिट का नामान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया है। जिस पर स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक. प.8 (ग) (1) नियम/डी एल.बी./20/39126 दिनांक 15/01/2020 अनुसार भूखण्ड का नामान्तरण किया जाना है। अतः समस्त खास आम को सूचित किया जाता है कि शपथ पत्र व पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त उक्त जुज भाग साईज 20'X44' वर्गफिट का श्री अर्जुन लाल पिता श्री रामजस मुन्दडा के पक्ष में नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस के भीतर इस कार्यालय में लिखित प्रमाणित दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करें। समय अवधि के बाद नामान्तरण की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

प्रभारी अधिकारी
(राजस्व) नगर निगम भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक/नियमन/स्यूटेशन नं. 1943 दिनांक //2026

आम सूचना

एतद्द्वारा श्री जगदीश प्रसाद आगीवाल पुत्र श्री समीर मल आगीवाल द्वारा राजस्व ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 441 गैर योजना में भूखण्ड संख्या एससीओ-122 साईज 11.50M×6M=69.00 वर्गमीटर का नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा नियमन /आवंटन पत्र जारी किया गया।

भूखण्डधारी श्री जगदीश प्रसाद आगीवाल द्वारा श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल को विक्रय किया गया एवं इनके द्वारा श्री दिनेश चन्द्र पारीक पुत्र श्री रमेश चन्द्र पारीक द्वारा श्रीमती अनुसुया शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा की मृत्यु हो जाने से पटवारी रिपोर्ट अनुसार इनके विधिक वारिसान श्रीमती रश्मी शर्मा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा पत्नी श्री डॉ. योगेश शर्मा द्वारा श्री अंकुर शर्मा पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा जरिये रजिस